UPBJ010052552026

न्यायालय– सत्र न्यायाधीश, बिजनौर।
प्रभारी अधिकारी– प्रशांत मित्तल, (उच्चतर न्यायिक सेवा)–UP06174
जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1909/2026
समीर उर्फ रूहान बनाम सरकार
मुकदमा अपराध संख्याः–156/2025
धारा–152, 61(2)क बी0एन0एस0
व धारा 69 ए आई0टी0 एक्ट
थाना–नांगल, जनपद बिजनौर।

16–06–2026

1– यह जमानत प्रार्थना पत्र प्रार्थी–अभियुक्त समीर उर्फ रूहान पुत्र कूडे, निवासी ग्राम खैरूल्लापुर उर्फ शाहपुर, थाना नजीबाबाद, जिला बिजनौर की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–156/2025, अन्तर्गत धारा 152, 61(2)क बी0एन0एस0 व धारा 69 ए आई0टी0 एक्ट, थाना नांगल, जनपद बिजनौर के प्रकरण में जमानत प्रदान किये जाने हेतु प्रस्तुत किए गए है। उपरोक्त जमानत प्रार्थना पत्र शपथ पत्र मिनजानिब कूडे द्वारा समर्थित है। अभियुक्त जिला कारागार में निरूद्ध है।

2– जमानत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी–अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्तागण तथा विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना तथा उपलब्ध प्रपत्रों का परिशीलन किया।

3– संक्षेप में अभियोजन कथानक है कि वादी मुकदमा उपनिरीक्षक विनोद कुमार ने घटना की रिपोर्ट इस आशय की लिखायी कि थाना नांगल क्षेत्र के ग्राम सौफतपुर का मैजुल Terrorist in making है। अत्याधुनिक रायफलो और हैंड ग्रैनेड के साथ इस्टाग्राम लाईव करता है। बिजनौर पुलिस द्वारा संज्ञान लेकर, ग्राम सौफतपुर जाकर जॉच की गयी तो मैजुल पुत्र शोकीन, निवासी ग्राम सौफतपुर, थाना नांगल, बि. जनौर उम्र करीब 22 वर्ष मोबाईल नं0 87914xxxxx को परिजनो ने 03 वर्ष पूर्व साउथ अफ्रीका जाना बताया, के द्वारा अपनी इंस्टाग्राम आई0डी0 maijul king 007 से अपने साथी आकिब इंस्टाग्राम आईडी aakib khan ak47 333 4444 व दूसरी आई0डी0 aakib khan 302 333 4444 व अन्य के साथ इंस्टाग्राम पर लाईव आकर रील बनाकर आकिब द्वारा प्रतिबंधित अस्लाह ए.के.–47 व हैंड ग्रेनेड का प्रदर्शन किया है जिससे जनता में भय व्याप्त है। क्षेत्र में लोग तरह तरह की बाते कर रहे है।

4– वादी की तहरीर के आधार पर थाना नांगल पर मुकदमा अपराध संख्या 156/2025, अन्तर्गत धारा 69 ए आई0टी0एक्ट व 7/25 आयुध अधियिम का अभियोग

अभियुक्तगण मैजुल, आकिब व अज्ञात के विरूद्व पंजीकृत किया गया। दौरान विवेचना उक्त प्रकरण में धारा 152, 61(2)क बी0एन0एस0 की वृद्धि की गयी।

5– प्रार्थी–अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि उसे वाद उपरोक्त में झूॅठा व फर्जी फंसाया गया है। वह निर्दोष है। उसे पुलिस द्वारा गलत फहमी के कारण झूठा फसाया है। उसका कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है। वह नामजद एफ0आई0आर0 नहीं है। एफ0आई0आर0 विलम्ब से लिखायी गयी है। उसके विरूद्व जनता का कोई गवाह नहीं है। प्रार्थी ने देश की सम्प्रभुता, एकता व अखण्डता को खतरे में डालने का प्रयास नहीं किया है। उसके पास से कोई बरामदगी नहीं हुई है। उसके द्वारा कोई फोटो या वीडियो आदि वायरल नहीं किया गया है। उसका नाम सह अभियुक्त के बयान के आधार पर आया है जो साक्ष्य अधिनियम में ग्राहय नहीं है। अभियुक्त दिनॉक 16.04.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। प्रार्थी/अभियुक्त दौराने मुकदमा अपनी उचित जमानत देने को तैयार हैं। अतः प्रार्थी–अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

6– विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्रों का विरोध करते हुये तर्क किया गया कि अभियुक्त द्वारा सह अभियुक्त के साथ मिलकर आपराधिक षडयंत्र करके भारत की सम्प्रभुता, एकता, अखण्डता को खतरा उत्पन्न करने के आशय से इंस्टाग्राम पर प्रतिबंधित अस्लाह ए0के0 47 व हैण्ड ग्रेनेड का लाईव प्रदर्शन किया गया है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। सह अभियुक्तगण जुल्फिकार, आरिफ व जलाल हैदर की जमानत माननीय जनपद न्यायाधीश द्वारा पूर्व में निरस्त हो चुकी है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। अतः जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने पर बल दिया गया है।

7– केस डायरी के अवलोकन से विदित है कि अभियुक्त के विरूद्व सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर आपराधिक षडयंत्र रचकर भारत की सम्प्रभुता, एकता, अखण्डता को खतरे में डालने वाला कार्य किए जाने के उददेश्य से इंस्टाग्राम पर प्रतिबंधि ात असलाह ए0के0 47 व हैण्ड ग्रेनेड का लाईव प्रदर्शन कर जनता को भयग्रस्त किए जाने का आरोप है। सह–अभियुक्त जलाल हैदर उर्फ समीर ने अपने बयान धारा 180 बी0एन0एस0 में यह कहा है कि वह सूरत गुजरात चला गया था। वहॉ उसकी मुलाकात अभियुक्त समीर से हुई थी। समीर ने उसकी जान पहचान आकिब व मैजुल से करायी थी। आकिब इस्टाग्राम पर लाईव आकर हिन्दू लोगो के बारे में कहता था और हिन्दुओ के खिलाफ इंस्टाग्राम पर वीडियो डालता था और मुस्लिम समाज के लोगों को हथियार उठाने को कहता था तथा अभियुक्त समीर उसे फालो करता था। इस संबंध में कुछ वीडियो व फोटोग्राफ केस डायरी में संलग्न किए गए है। अभियुक्त द्वारा अन्य सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर मुस्लिम लडको को आकिब के साथ जोडते थे तथा जिहाद करने हेतु उकसाते रहे थे। इस प्रकार अभियुक्त भी उक्त अपराध में सह अभियुक्तगण के साथ संलिप्त रहा है। सह अभियुक्तगण जुल्फिकार, आरिफ व जलाल हैदर की जमानत दिनॉक 02.06.2026 को निरस्त हो चुकी है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है।

8– अतः अपराध की प्रकृति एवं मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये, मामले के गुणदोष पर कोई टीका–टिप्पणी किये बिना अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है। तद्नुसार अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी–अभियुक्त समीर उर्फ रूहान का मु0अ0सं0–156/2025, अन्तर्गत धारा 152, 61(2)क बी0एन0एस0 व धारा 69 ए आई0टी0 एक्ट, थाना नांगल, जनपद बिजनौर, के प्रकरण में प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र पत्र निरस्त किया जाता है।

(प्रशांत मित्तल)
प्रभारी
सत्र न्यायाधीश, बिजनौर।

Digitally signed by PRASHANT MITTAL
Date: 2026.06.16 16:51:14 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court